(वाद संख्या–1179/19)

15.02.2021

प्रसंगाधीन मामला, मृत परिवादी, राम भजन सिंह, तत्कालीन कार्यलय परिचारी, आयुक्त कार्यालय, छपरा को जातिगत दुर्भावना व पक्षपातपूर्ण रूप से उसे आवंटित सरकारी क्वार्टर को आवंटन मुक्त करने तथा उसके वेतन भुगतान को स्थगित करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल, छपरा द्वारा परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों का कंडिकाबार प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिसके अनुसार परिवादी अपने आवंटित सरकारी मकान में स्वयं नहीं रहकर किसी अन्य को किराया पर लगाने संबंधी उनके कृत्य के आलोक में, नियमानुसार, उनके सरकारी क्वार्टर के आवंटन आदेश को रद्द कर दिया गया। इस संबंध में परिवाद–पत्र में परिवादी द्वारा लगाये गये सभी आरोपों को आयुक्त के सचिव द्वारा अस्वीकार किया गया है। जहांतक परिवादी के वेतन भुगतान को स्थगित किये जाने से संबंधित शिकायत का प्रश्न है, प्रतिवेदनानुसार, परिवादी दिनांक–01.08.2018 से दिनांक–08.03.2018 तक चिकित्सा के आधार पर अपने कर्त्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहे। इस संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच की गयी। जांच प्रतिवेदन में परिवादी कर्त्तव्य के अनुकूल पाये गये। मेडिकल बोर्ड द्वारा परिवादी को फिट घोषित किये जाने के पश्चात् परिवादी द्वारा दिनांक–09.02.2019 के पूर्वाह्न में योगदान दिया गया। तत्पश्चात् परिवादी के अनुपस्थिति अवधि हेतु देय अवकाश को भी स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन वेतन की निकासी हेतु नये CFMS प्रणाली लागू होने एवं उक्त प्रणाली में House Building Advance की कटौती के संबंध में कोई कॉलम नहीं होने के कारण परिवादी के वेतन का भुगतान अब तक नहीं हो सका है जिस पर वित्त विभाग से दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल, छपरा के उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी के पुत्र, रवि कुमार, द्वारा राज्य आयोग को सूचित किया गया है कि उनके पिता की

दिनांक–15.02.2020 को मृत्यु हो चुकी है। उनकी ओर से पिता की मृत्यु के उपरांत अपनी माता के पक्ष में तत्काल अपने पिता के सेवाकाल के सभी लाभ व अपनी माता के पारिवारिक पेंशन भुगतान हेतु निर्देश देने व अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य आयोग अनुकम्पा के आधार पर किसी की नियुक्ति की अनुसंशा नहीं करती है। मृत परिवादी के आश्रित को सलाह दी जाती है कि वह सरकारी नियमों के आलोक में, नियमानुसार, संबंधित प्राधिकार के समक्ष विधिवत याचना कर सकते हैं।

जहांतक मृत परिवादी, स्व0 रामभजन सिंह, तत्कालीन कार्यालय परिचारी, आयुक्त कार्यालय, छपरा के सेवा अवधि के बकाया के भुगतान का प्रश्न है **राज्य आयोग, आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से यह अपेक्षा करती है कि वह इस संबंध में तत्काल मृत सरकारी सेवक के आश्रित (मृतक की पत्नी) के पक्ष में परिवादी के बकाया वेतन (यदि कोई हो तो) व मृत परिवादी राम भजन सिंह की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी के पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु अपने स्तर से विधिनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।**

उपरोक्त अनुसंशा के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल, छपरा को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति परिवादी के पुत्र, रवि कुमार पुत्र स्व0राम भजन सिंह, सा0–शिवरहिया, पो0–गुल्टेनगंज, जिला–सारण को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक